संख्या: 07/2020/2264/छप्पन-2019-115/1989टी0सी

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2020

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई पट्टी को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु आवश्यक भूमि प्राप्त करने तथा ओ0एल0एस0 सर्वे के अनुसार अवरोध हटाए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या: 535/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 27 नवम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- नागरिक उड्डयन विभाग के शासनादेश सं0-101/2018/1625/छप्पन-2018-115/1989 टी0सी0 दिनांक 17 सितम्बर, 2018 द्वारा 18.28 एकड़ (7.4009 हैक्टेयर) भूमि के क्रय हेतु रु0 8,27,10,406/-, शासनादेश सं0- 119/2018/1971/छप्पन-2018-115/1989टी0सी0 दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 द्वारा ओ0एल0एस0 सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु रु0 8,74,00,000/- तथा शासनादेश सं0-04/2019/2122/छप्पन-2018-115/ 1989टी0सी0 दिनांक 16 जनवरी, 2019 द्वारा बाँध खाते की भूमि श्रेणी- 6(4) के श्रेणी परिवर्तन व पुनर्ग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क जमा किए जाने हेतु रु0 14,97,650/- कुल धनराशि रु0 17,16,08,056/- (रूपए सत्रह करोड़ सोलह लाख आठ हजार छप्पन मात्र) प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन उपरान्त अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें से रु0 7,20,04,441/- की धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन के पास उपलब्ध है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई पट्टी को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करने तथा ओ0एल0एस0 सर्वे के अनुसार अवरोध हटाए जाने हेतु रु0 8,68,634/- (रूपए आठ लाख अड़सठ हजार छ: सौ चौंतीस मात्र) को उक्त उपलब्ध धनराशि में से व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति उक्त शासनादेश सं0- 101/2018/1625/छप्पन-2018-115/1989टी0सी0 दिनांक 17 सितम्बर, 2018, शासनादेश सं0-119/2018/1971/छप्पन-2018-115/1989टी0सी0 दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 तथा शासनादेश सं0- 04/2019/2122/ छप्पन-2018-115/1989 टी0सी0 दिनांक 16 जनवरी, 2019 में विहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

4- व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि रु0 8,68,634/- को निदेशक, नागरिक उड्डयन के पास उपलब्ध धनराशि रु0 7,20,04,441/- में से समायोजित किया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 8,68,634/- (रूपए आठ लाख अड़सठ हजार छ: सौ चौंतीस मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, सोनभद्र के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

6- कृपया ओ0एल0एस0 सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/हटाए जाने हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, सोनभद्र से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

7- जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन उ0प्र0, लखनऊ शासन को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्या: 07/2020/2264(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल।
(4) जिलाधिकारी, सोनभद्र।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग 13
(8) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(9) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।